

बि. 70 प्रॉडि



(2)

विक्रय-पत्र

बिक्री 1200000/ मालियत 1673000/ ई-स्टाम्प 84000/
लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण:-

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. भूमि का प्रकार | - आवासीय/प्लाट |
| 2. परगना | - देवां |
| 3. ग्राम | - शाहपुर (पृष्ठ 70) |
| 4. सम्पत्ति का विवरण नं० | - 1386मि० |
| 5. मापन की इकाई | - वर्गमी० |
| 6. क्षेत्रफल | - 371.60 वर्गमी० (तीन सात एक दशमलव छः शून्य वर्गमी०) |
| 7. सड़क की स्थिति | - कुछ नहीं |
| 8. अन्य | - 9 मी० से कम रास्ते पर |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - आवासीय/प्लाट |
| 10. निर्मित क्षेत्रफल | - कुछ नहीं |

बि. 70 प्रॉडि



Karma



(3)

11. सरकारी दर - 4500/प्रति वर्गमी0
12. प्रतिफल की धनराशि - 1200000/
13. चौहद्दी:-पूरब भूमि विक्रेता, पश्चिम भूमि विक्रेता, उत्तर रास्ता कच्चा 20 फिट चौड़ा, दक्षिण भूमि विक्रेता --

प्रथम पक्ष संख्या 1

विक्रेता का विवरण

मेड़ई पुत्र मंगरे निवासी ग्राम
कुडिलवा मजरे शाहपुर परगना देवा
तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
मो0 नं0-9452815311

आधार नं0-XXXX XXXX 9315

द्वितीय पक्ष संख्या 1

क्रेता का विवरण

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्रीकृष्ण
निवासी-म0नं0 100 शिव मंदिर के
पास भिक्की तहसील सदर जिला
मुजफ्फरनगर


मो0नं0-9410247781

आधार नं0-XXXX XXXX 1075

पैन नं0-AWOPK 1986 D

-:लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण:-


हम मेड़ई पुत्र मंगरे निवासी ग्राम कुडिलवा मजरे शाहपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी, प्रथम पक्ष विक्रेता व जितेन्द्र कुमार पुत्र श्रीकृष्ण निवासी-म0नं0 100 शिव मंदिर के पास भिक्की तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर, द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा द्वितीय पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं। ---





(4)

जो कि मैं प्रथम पक्ष एक किता प्लाट जो स्थित ग्राम शाहपुर परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में है, जिसका आराजी नं० 1386मि० है। जिसका प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त प्लाट को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० 1200000/बारह लाख रूपया जिसके आधे 600000/छः लाख रूपया होते है, के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से कई वर्ष पहले कई टुकड़ों के द्वारा पूर्व में वसूल पा चुका है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत प्लाट पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लाट में शेष नहीं रहा। द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व विक्रीत प्लाट का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से विक्रीत प्लाट या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य, हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु, यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत प्लाट मुख्य सड़क व अन्य सड़क व खड़ंजा मार्ग व कार्नर पर नहीं है। तथा इसकी 50 मी० की त्रिज्या में व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधि व सड़क नहीं है ---

Handwritten signature and a fingerprint impression.

Handwritten signature and a fingerprint impression.

आवेदन सं०: 202400898021671

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 16866

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 1200000 स्टाम्प शुल्क- 84000 बाजारी मूल्य - 1673000 पंजीकरण शुल्क - 16730 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 16790

श्री जितेन्द्र कुमार,
पुत्र श्री श्रीकृष्ण
व्यवसाय : अन्य

निवासी: म०न० 100 शिव मंदिर के पास भिवकी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर

[Handwritten Signature]



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/06/2024 एवं 01:42:27 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक :सदर
बाराबंकी
22/06/2024

सूर्य प्रकाश प्राण्डेय
निबंधक लिपिक
22/06/2024

प्रिंट करें



(5)

विक्रीत प्लाट का इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया गया है यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा इसमें कोई निर्माण नहीं है। विवरण विक्रीत प्लाट पैमाईश:- पूरब से पश्चिम 50 फिट उत्तर से दक्षिण 80 फिट रकबा 4000 वर्गफिट अर्थात् 371.60 वर्गमी० है। जिसकी सरकार द्वारा निर्धारित दर 4500/प्रति वर्गमी० की दर से विक्रीत प्लाट की मालियत 1673000/होती है। जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स०व०क०नि०-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत मु० 84000/रूपये का ई-स्टाम्प अदा किया गया है। चौहद्दी:-पूरब भूमि विक्रेता, पश्चिम भूमि विक्रेता, उत्तर रास्ता कच्चा 20 फिट चौड़ा, दक्षिण भूमि विक्रेता - विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है तथा कोई मध्यस्थ नहीं हैं। लेखपत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजातों व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। यदि लेखपत्र में हम उभयपक्षों द्वारा 20000/रूपया (बीस हजार रूपया) से अधिक का नगद लेन-देन किया गया है यदि इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसके हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। विदित हो उपजिलाधिकारी महोदय नवाबगंज वाद सं०-613/25.07. 2013ई० के अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ० के अन्तर्गत आबादी घोषित है। विक्रीत प्लाट चिनहट-देवां रोड से लगभग 150 मी० की अधिक दूरी पर है। व विक्रीत प्लाट के 100 मी० में कोई मुख्य सड़क नहीं है। ---



नि. २००० मैडई



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 16866

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री मेडई, पुत्र श्री मंगरे

निवासी: ग्राम कुडिलवा मजरे शाहपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1



श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र श्री श्रीकृष्ण

निवासी: म०न० 100 शिव मंदिर के पास भिक्की तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर

व्यवसाय: अन्य

Jitendra Kumar



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1


श्री संतोष कुमार शर्मा, पुत्र श्री अनिल शर्मा

निवासी: ग्राम ईलिंगपुर गोधना कांछगाव जौनपुर नेवादा, जिला जौनपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

Santosh



श्री सारंग सिंह, पुत्र श्री संजय कुमार सिंह

निवासी: ग्राम रामपुर खजुरही तहसील घोसी जिला मऊ

व्यवसाय: अन्य

Sarang Singh



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी

उप निबंधक : सदर

बाराबंकी

22/06/2024

सूर्य प्रकाश पाण्डेय

निबंधक लिपिक बाराबंकी

22/06/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अगुठे नियमानुसार लिए गए हैं। टिप्पणी: विक्रेता ने प्रलेखानुसार प्रतिफल की प्राप्ति स्वीकार किया। जिसकी पुष्टि बयान से कर ली गयी।

प्रिंट करें

(6)

प्रस्तुत लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली भाँति पढ़/सुन व समझकर स्वीकार किया है। विदित हो कि उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश है तथा वक्फ की सम्पत्ति नहीं है।


विनीत कुमार अवस्थी द0न0

दिनांक-22.06.2024ई0










संतोष कुमार शर्मा पुत्र अनिल शर्मा
निवासी ग्राम ईलिंगपुर गोधना कांछगाव जौनपुर
नेवादा, जिला जौनपुर
मो0नं0-9555182395
आधार नं0-XXXX XXXX 7176



सारंग सिंह पुत्र संजय कुमार सिंह
निवासी ग्राम रामपुर खजुरही तहसील घोसी
जिला मऊ
मो0नं0-7380581117
आधार नं0-XXXX XXXX 3181



विनीत कुमार अवस्थी (दस्तावेज लेखक)
अनु0सं0-09-दि0-31.03.2025 तक विधिमान्य
कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी
ली गयी फीस-2000.....



फोटो चरुपा

ग्राम :- शाहपुर
आराजी नं० :- 1386मि०
विक्रेता :- मेडई
क्रेता :- जितेन्द्र कुमार



मेडई



विक्रेता

जितेन्द्र कुमार




क्रेता

टेखाकित मानचित्र

50 मीटर की त्रिज्या में स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

ग्राम :- शाहपुर
आराजी नं० :- 1386मि०
विक्रेता :- मेड़ई
क्रेता :- जितेन्द्र कुमार



रास्ता कच्चा 20 फिट चौड़ा

भूमि विक्रेता

भूमि विक्रेता

भूमि विक्रेता

मेड़ई

विक्रेता

जितेन्द्र कुमार

क्रेता

आवेदन सं०: 202400898021671

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17703 के पृष्ठ 347 से 362 तक क्रमांक 16866 पर दिनांक
22/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
22/06/2024

